न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3855/2004/नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

–अपीलार्थी/प्रतिवादी

बनाम

1. सुखदेव – मृतक (जरिये कायममुकाम)
   1/1. दादूराम
   1/2. पेमाराम
   1/3. भंवरी
   1/4. पट्टू
   1/5. गेन्दी
   1/6. चुकी
   1/7. परमा

–पुत्र व पुत्रियां श्री सुखदेव पुत्र हरकाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम गवालू तहसील एवं जिला नागौर।

– प्रत्यर्थीगण/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री शंकर लाल चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः–13–02–2023

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–5–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 बाबत ग्राम गवालू तहसील नागौर स्थित विवादित आराजियात साबिक खसरा संख्या 870 रकबा 202 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा संख्या 1297 रकबा 105 बीघा 12 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि खसरा संख्या 1287 पर वादी के कब्जेकाश्त वाली 22 बीघा रकबे से वादी को बेदखल करने की कार्यवाही करने अथवा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने से स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जावे। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि विवादित रकबा राजस्व रेकार्ड में चरागाह दर्ज है तथा उक्त भूमि बाबत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर बेदखल किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना शेष है तथा साथ ही वादीगण के वाद को खारिज करने का निवेदन किया। कालान्तर में प्रतिवादी राज्य सरकार को अवसर दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण उनका जवाबदावे का अवसर बंद किया गया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा पेश किए मौखिक साक्ष्यों को लेखबद्ध करते हुए प्रश्नगत आराजियात के बाबत वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर निर्णय दिनांक 22-7-2002 के द्वारा वादी के वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय में विवेचित किया कि **विवादित भूमि की किस्म गोचर दर्ज होने से व सार्वजनिक उपभोग व उपयोग की भूमि होने से वादी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है, जिसको खातेदारी अधिकार दिया जाना धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैधानिक है। तदनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है**। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष मियाद से बाधित प्रथम अपील पेश की तथा

कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। कालान्तर में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को सदभावी मानते हुए कारित विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर विवेचित करते हुए आज्ञा दिनांक 31-5-2004 द्वारा स्वीकार करते हुए मामले में सहायक जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-7-2002 को निरस्त करते हुए वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित विवादित आराजियात का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी राज्य सरकार ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने अपील के संबंध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को त्रुटिपूर्ण होना कहा है। उनका कहना है कि विवादित भूमि की किस्म गोचर दर्ज होने से व सार्वजनिक उपभोग व उपयोग की भूमि होने से वादी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है, जिसको खातेदारी अधिकार दिया जाना धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैधानिक है। उनका तर्क है कि वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की ठोस प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है तथा गवाहान के बयानात करवाये हैं। उनका यह भी तर्क है कि न्यायालय का साक्ष्य का मोहताज है तथा अपर्याप्त व बिना ठोस साक्ष्य के दिया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होना माना जाता है। उनका आगे तर्क है कि वादी ने विवादित आराजी जो कि राजस्व रेकार्ड में गोचर दर्ज है ऐसी भूमि पर किया गया कब्जाकाश्त मात्र अतिक्रमण की श्रेणी में आहूत होता है। उक्त समस्त स्थिति के परिवेश में मामले में विचारण न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के तहत वादी के वाद का परीक्षण कर

उचित निर्णय पारित किया है। ऐसे विधिक निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी प्रथम अपील में अपीलीय न्यायालय ने अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर वादी को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार मानकर भूल की है। तदनुसार मामले में आक्षेपित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2004 को खारिज करते हुए सहायक जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–7–2002 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वादीगण ने अपने वाद को समुचित राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित करवाया है तथा वाद पत्र के समर्थन में गवाहान के बयानात प्रदर्शित करवाये हैं। उनका कहना है कि विवादित आराजी पर वादीगण का सम्वत 2006 से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उनका यह भी कहना है कि अधिनियम के प्रभावी होने की तिहथि से पूर्व ही वादी विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है तथा तत्समय आराजी राजस्व रेकार्ड में गोचर दर्ज नहीं थी। उनका तर्क है कि बंदोबस्त विभाग ने प्रश्नगत आराजी के क्रम में बिना किसी जांच किए आराजी को राजस्व रेकार्ड में गोचर दर्ज कर अनियमितता की है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अहस्तक्षेनीय है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर मामले में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस एवं उपलब्ध पत्रावली व मामले में पारित किए गए निर्णयों का अध्ययन का मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं पारित किए गए निर्णयों के प्रकाश में प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत आराजियात बाबत वादीगण द्वारा पेश किए गए वाद को राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने अपर्याप्त एवं सम्पूर्ण अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में खातेदारी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेखनीय है कि आलोच्य प्रकरण में अपीलीय न्यायालय जब विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए अभिमत से असंतुष्ट था, तो ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित करना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा पारित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेपित निर्णय व डिक्री व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

8. हमारे समक्ष उपलब्ध समस्त रेकार्ड का विधि की रोशनी में परीक्षण करने पर यह दृष्टिगोचर होता है कि वादीगण द्वारा पेश किए मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिनांक 22-7-2002 पारित किया है। रेकार्ड के अनुसार पाया जाता है कि विवादित भूमि की किस्म राजस्व रेकार्ड में गोचर दर्ज होने से व सार्वजनिक उपभोग व उपयोग की भूमि होने से वादी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिजकाश्त है, जिसको खातेदारी अधिकार दिया जाना धारा 16 काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैधानिक है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की ठोस प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है तथा गवाहान के बयानात करवाये हैं। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि न्यायालय का साक्ष्य का मोहताज है तथा अपर्याप्त व अपूर्ण साक्ष्य के दिया गया निर्णय विधिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण होना माना जाता है। वादी ने विवादित आराजी जो कि राजस्व रेकार्ड में गोचर दर्ज है। अतः ऐसी भूमि पर किया गया कब्जाकाश्त मात्र अतिक्रमण की श्रेणी में आहूत

होता है। इस न्यायालय की अवधारणा है कि रेकार्ड में दर्ज किसी भी राजकीय भूमि पर काबिज काश्तकार की हैसियत केवल मात्र अतिक्रमी से ज्यादा कुछ नहीं होती है तथा अतिक्रमी सदैव अतिक्रमी रहता है तथा दण्ड का भागीदार होता है एवं उसे किसी आवंटी या वैध खातेदार के स्थान पर नहीं बैठाया जा सकता।

9. उपरोक्त समस्त विवेचन की रोशनी में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-07-2002 उपलब्ध रेकार्ड के परिप्रेक्ष्य में उचित होने के कारण समर्थन योग्य है। तदनुसार ऐसे विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपील में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा अपूर्ण व अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बिना विवाद्यकवार आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है। सारांशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील में तथ्य एवं विधि का बिन्दु निहित होने के कारण इसे स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाना समीचीन है।

10. परिणामतः प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-5-2004 को निरस्त किया जाकर सहायक जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-7-2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य